कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

संशोधित प्रेस नोट

एफएसएल टीम जघन्य अपराधों की रिपोर्ट अब एक माह में प्रस्तुत करें
–गृह मंत्री

जयपुर 3 मई। गृह मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बच्चों से दुष्कर्म एवं हत्या जैसे जघन्य अपराधों की रोकथाम के लिये राज्य सरकार ने प्रदेश की एफएसएल टीम को निर्देशित किया कि जघन्य अपराधों की रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करें, जिससे कि पीड़ित व्यक्ति को भी शीघ्र न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि एफएसएल टीम ने वर्ष 2016 के 31 दिसम्बर 2016 तक के 10 हजार 840 दर्ज सभी प्रकरणों का युद्धस्तर पर पहली बार निस्तारण कर दिया गया है।

श्री कटारिया बुधवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मार्च माह में रिकार्ड 4 हजार 311प्रकरणों का निस्तारण कर किया है, जिससे अब 2016 का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

गृहमंत्री ने बताया कि उन्होंने बताया कि प्रदेश में नवस्थापित पॉलिग्राफ सेंटर में 10 संदिग्ध व्यक्तियों का पॉलिग्राफ परीक्षण किया जाकर उसकी रिपोर्ट संबंधित पुलिस अधीक्षक को भिजवा दी गई है। इस सेंटर की सुविधाओं के लिये ब्रेन वेव ऐनालेसिस के उपकरणों को भी लगाया जायेगा। सभी इसी प्रकार राजस्थान में साइबर अपराधों से निपटने के लिये राज्य सरकार एडवांस्ड सेन्टर फॉर साइबर फोरेन्सिक्स भी स्थापित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि एफएसएल में हैल्पलाइन प्रारंभ किया जाना एवं एक नोडल अधिकारी बनाया जाना भी प्रस्तावित है, इस तरह का देश में यह अनूठा एवं प्रथम प्रयास है। उन्होंने बताया कि इस पहल से साइबर अपराधों पर अंकुश एवं नवीन विधियों से जांच करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही धोखाधड़ी अपराधों से पीड़ितों को बचाने के लिये पुलिस अधिकारियों को तकनीकी सहायता व दक्षता प्रदान करने एवं आर्थिक हानि से बचाने के लिये एक हैल्पलाइन भी स्थापित की जायेगी।

प्रमुख शासन सचिव श्री दीपक उप्रेती ने कहा कि जघन्य अपराधों की रोकथाम के लिये राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की एफएसएल टीम को इस संबंध में संसाधन भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक डॉ. बी.बी. अरोड़ा ने बैठक में एफएसएल टीम द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि टीम द्वारा पुराने सभी लम्बित केसों के निस्तारण कर अहम कार्य किया है। उन्होंने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट के अभाव में न्यायालयों के निर्णयों में भी विलम्ब होता था लेकिन अब सभी प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण से इस समस्या से निजात मिल जायेगी। इस अवसर पर उपनिदेशक एफएसएल डॉ. गिरीश माथुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

——

राही/सन्तरा/340/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

बजट घोषणाओं एवं विभिन्न केबीनेट बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति सुनिश्चित करें

—गृहमंत्री

जयपुर 19 अप्रेल। गृह मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा वर्ष 2014 में जेल विभाग के लिये की गई बजट घोषणाओं एवं विभिन्न केबीनेट बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत निमार्ण कार्यों को भी समयबद्ध पूरा कराया जाये।

श्री कटारिया, बुधवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में कारागार विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जेलों की समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुझावों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग के स्तर पर जेल अधिकारियों व कर्मचारियों के जितने भी प्रकरण लम्बित हैं, उन्हें उच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करें, ताकि सेवानिवृत कार्मिकों को भी पेंशन संबंधी पूर्ण लाभ मिल सके।

गृह मंत्री ने बताया कि राज्य स्तर पर बंदियों की क्षमता 20 हजार 210 है, जिसके विरुद्ध 18 हजार 963 बंदी राज्य की जेलों में निरूद्ध हैं, जबकि कुछ जेलों में जहां—जहां भी क्षमता से अधिक जनाधिक्य हैं, वहां पर नवनिर्मित 33 बैरकों में बंदियों को स्थानान्तरित करने से समस्या का स्थाई समाधान लगभग पूर्ण हो चुका है, जबकि राजसमंद में जनाधिक्य की समस्या का निराकरण नई जेल के निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव (गृह) श्री दीपक उप्रेती ने अवगत कराया कि प्रदेश की जेलों की जनाधिक्य की समस्या का निदान के अलावा बंदियो को पेशी पर ले जाने के प्रतिशत में उतरोत्तर वृद्धि के लिये पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

जेल महानिदेशक श्री अजीत सिंह बताया कि कोटा में एक हजार दण्डित एवं एक हजार विचाराधीन कैदियों के लिये कारागृहों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाना प्रक्रियाधीन है।

बैठक में उप महानिरीक्षक, जेल श्री जयनारायण शेर, संयुक्त शासन सचिव, जेल श्री चेतन देवड़ा, उप शासन सचिव श्री योगेश श्रीवास्तव सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।

राही/सन्तरा/341/2017

नोटः— उक्त प्रेस नोटूण्चवसपबमण्तंरेंजींदण्हवअण्पदपर भी उपलब्ध है।